



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 760 वर्ष 2026

सुशीला देवी

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : क्षितिज पाल सिंह, रचना सिंह, सतीश कुमार पाण्डेय

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : अभय प्रताप सिंह, मुख्य स्थायी अधिवक्ता, कृष्णा आनंद, वीरेन्द्र सिंह

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सतीश कुमार पाण्डेय, प्रत्यर्थी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र सिंह तथा राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आशीष चंद निषाद को सुना गया।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम, 1953 (जिसे आगे "उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम" कहा गया है) की धारा 6-क के अंतर्गत सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा दिनांक 10.12.2023 को पारित आदेश द्वारा याचिकाकर्ता सुशीला देवी का नाम दिनांक 26.4.2012 के विक्रय विलेख के आधार पर दर्ज करने का आदेश पारित किया गया था। प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा दिनांक 25.9.2024 को धारा 11(1) उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत अपील प्रस्तुत की गई, साथ ही विलम्ब क्षमा हेतु प्रार्थना पत्र भी दाखिल किया गया। समेकन बंदोबस्त अधिकारी द्वारा दिनांक 3.12.2024 के आदेश द्वारा पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए सीमायाचन अधिनियम की धारा 5 का लाभ प्रदान किया गया तथा सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा वाद संख्या 191, धारा 6-क उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत पारित दिनांक 10.12.2023 के आदेश को निरस्त करते हुए प्रकरण को विधि अनुसार कार्यवाही

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हेतु पुनः सहायक चकबंदी अधिकारी के समक्ष प्रेषित किया गया, साथ ही यह विशिष्ट निर्देश दिया गया कि विवाद की स्थिति में प्रकरण को चकबंदी अधिकारी को संदर्भित किया जाए। उक्त आदेश दिनांक 3.12.2024 के विरुद्ध याचिकाकर्ता द्वारा धारा 48 उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया, जिसे आक्षेपित आदेश दिनांक 29.7.2025 द्वारा निरस्त कर दिया गया। अतः वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित राहतों हेतु प्रस्तुत की गई है:-

"1. प्रत्यर्थी संख्या 2/उप निदेशक चकबंदी/मुख्य राजस्व अधिकारी, देवरिया द्वारा वाद संख्या 0501/2025 (कम्प्यूटरिकृत वाद संख्या 20255405200000501) (सुशीला देवी बनाम लालसपति देवी) धारा 48(1) उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम में पारित आक्षेपित निर्णय/आदेश दिनांक 29.7.2025 तथा प्रत्यर्थी संख्या 1/समेकन बंदोबस्त अधिकारी, देवरिया द्वारा वाद संख्या 0796/2024 (कम्प्यूटरिकृत वाद संख्या 202454052000000796) (लालसपति बनाम सुशीला) धारा 11 उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम, 1953 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 3.12.2024 को निरस्त करने हेतु उत्प्रेषण की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए (याचिका के परिशिष्ट संख्या 1 एवं 2)।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 26.4.2012 के विक्रय विलेख के आधार पर याचिकाकर्ता के पक्ष में उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम की धारा 6-क के अंतर्गत पारित आदेश में कोई अवैधता नहीं है तथा वाद संख्या 857 वर्ष 2012, जो प्रत्यर्थी संख्या 4 के पति एवं प्रत्यर्थी संख्या 5 के पिता बच्चा द्वारा प्रस्तुत किया गया था, अननुशीलन के आधार पर खारिज कर दिया गया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि दिनांक 26.4.2012 के विक्रय विलेख के निरस्तीकरण हेतु प्रत्यर्थी संख्या 5 राजेश द्वारा प्रस्तुत सिविल वाद सिविल न्यायालय में लंबित है तथा प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा प्रस्तुत समय-सीमा से बाधित अपील को विधि विरुद्ध एवं मनमाने ढंग से स्वीकार किया गया है और याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण का निस्तारण उसके अभिवचन पर विचार किए बिना कर दिया गया है, अतः आक्षेपित अपीलीय एवं पुनरीक्षण आदेश निरस्त किए जाने योग्य हैं तथा धारा 6-क उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 10.12.2023 का आदेश यथावत रखा जाए।

4. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यदि विवाद विद्यमान हो तो उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम की धारा 6-क के अंतर्गत आदेश पारित नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि निजी प्रत्यर्थी संख्याएँ 4 एवं 5 को बिना सूचना एवं

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सुनवाई का अवसर दिए धारा 6-क के अंतर्गत आदेश पारित किया गया, अतः प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा धारा 11(1) उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत अपील, विलम्ब क्षमा प्रार्थना पत्र सहित, उचित प्रकार से विलम्ब क्षमा प्रदान करते हुए स्वीकार की गई तथा प्रकरण को पुनः सहायक चकबंदी अधिकारी के समक्ष विधि अनुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया, साथ ही यह निर्देश दिया गया कि विवाद की स्थिति में प्रकरण को चकबंदी अधिकारी को संदर्भित किया जाए। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अपीलीय आदेश के अनुपालन में चकबंदी अधिकारी द्वारा पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जाएगा, अतः किसी प्रकार का हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

6. प्रकरण में विवाद को समझने हेतु उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम की धारा 6-क का अवलोकन आवश्यक है, जो निम्नवत् है:-

“ [6-क. निर्विवाद उत्तराधिकार अथवा अंतरण के संबंध में विशेष प्रावधान। -

(1) धारा 4 की उपधारा (2) अथवा धारा 4-क के अंतर्गत अधिसूचना प्रकाशित होने के पश्चात तथा धारा 8 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व, निर्विवाद उत्तराधिकार के प्रकरण का निस्तारण समेकनकर्ता द्वारा किया जाएगा तथा अंतरण के आधार पर निर्विवाद नामांतरण के प्रकरण का निस्तारण सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा, ऐसी रीति में तथा ऐसी जाँच करने के पश्चात, जैसा कि विहित किया जाए, किया जाएगा:

परन्तु धारा 8 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने के पश्चात इस धारा के अंतर्गत कोई भी प्रकरण ग्रहण, जारी या निस्तारित नहीं किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अंतर्गत पारित आदेश धारा 9 के अंतर्गत आपत्ति प्रस्तुत किए जाने में बाधा नहीं होगा।]”

7. वर्तमान प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्याएँ 4 एवं 5 द्वारा याचिकाकर्ता के दावे का विवाद किया जा रहा है, अतः उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम की धारा 6-क के अंतर्गत आदेश पारित नहीं किया जा सकता।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. अपीलीय न्यायालय द्वारा उचित रूप से अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए धारा 6-क के अंतर्गत पारित आदेश को निरस्त कर प्रकरण को सहायक चकबंदी अधिकारी के समक्ष पुनः प्रेषित किया गया है ताकि वह उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करे। समेकन बंदोबस्त अधिकारी द्वारा प्रयोग किया गया अधिकार क्षेत्र विधिसम्मत है।
9. अतः प्रकरण में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
10. तदनुसार रिट याचिका निरस्त की जाती है। यह निर्देशित किया जाता है कि सहायक चकबंदी अधिकारी समेकन बंदोबस्त अधिकारी के दिनांक 3.12.2024 के आदेश के अनुपालन में कार्यवाही करेगा तथा चकबंदी अधिकारी पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विवाद का निस्तारण विधि अनुसार यथाशीघ्र, अधिमानतः कार्यवाही के पंजीकरण की तिथि से छह माह की अवधि के अंतर्गत, करेगा।

(न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय)

28 मार्च, 2026

रमीज़